न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 52/18

1. राजू राम पुत्र ईसर राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर

--प्रार्थी--

बनाम

1. मोडू राम पुत्र दानाराम राम जाति मेघवाल निवासी कमाना (17 एस टी जी) तहसील पीलीवंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।
3. उप पंजीयक केसरीसिहपुर तहसील श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16/4/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 35 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 37/30 के मु0 नं0 46 के किला नं0 1,10,11,20,21 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी व मु0 नं0 47 के किला नं0 6 से 12 व 13 तथा किला नं0 14 से 25 की कुल 5.059 हैक्टर अर्थात कुल रकवा 6.324 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी के पिता ईसर राम पुत्र मंगला राम को जिला पुनर्वास एवं प्रवन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आवंटन की गई थी। ईसर राम की मृत्यु के वाद उक्त भूमि प्रार्थी की दादी पारी, प्रार्थी की भुआ जीती उर्फ जीया, माता मोराबाई व भाई डालू राम व प्रार्थी स्वंय राजूराम के नाम विरास्तन प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। इस खाता मे वर्तमान मे यह भूमि प्रार्थी की दादी पारी के नाम 1.265 हैक्टर, लाऔलाद मृतक भुआ जीती उर्फ जिया के नाम 1.265 हैक्टर हिस्सा वर्तमान मे उसके पति मोडू राम अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है व 1.265 हैक्टर हिस्सा प्रार्थी के मृतक भाई डालू राम के नाम 1.265 हैक्टर स्वंय प्रार्थी राजूराम के नाम 1.265 हैक्टर व प्रार्थी की माता मोहरा देवी के नाम मुश्तरका खाता मे दर्ज है।

प्रार्थी की दादी पारी पत्नी मंगला राम का देहान्त हो चुका है। जिसका कुर्सीनामा निम्न प्रकार है :-

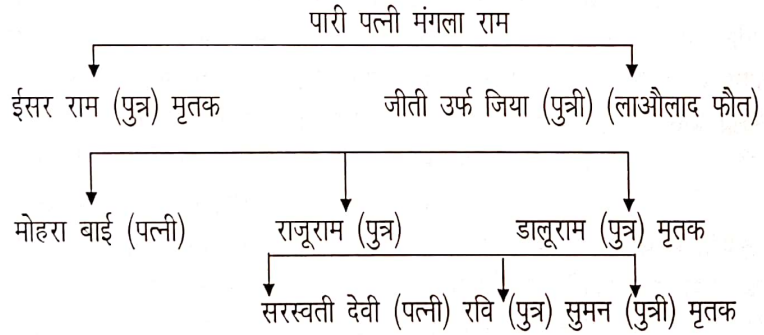

चक 35 एफ की वादगत भूमि मे प्रार्थी की भुआ जीती उर्फ जिया के लाऔलाद फौत होने के कारण जीती उर्फ जिया का हिस्सा 1.265 हैक्टर हिस्सा उसके पति अप्रार्थी संख्या 1 मोडू राम पुत्र दाना राम के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया जवकि हिन्दू उत्तराधिकारी नियम 1956 की धारा 15 व 18 मे स्पष्ट रूप से अंकित है कि "स्त्री जव कोई सम्पत्ति अपनी माता-पिता से प्राप्त करती है तो उसकी मृत्यु होने पर पुत्र तथा पुत्री के अभाव मे सम्पत्ति उसके पति को प्राप्त नही होगी बल्कि ऐसी सम्पत्ति उसके (मृत स्त्री) माता-पिता को धारा 15(2) के अनुसार प्राप्त होगी" अर्थात जीती उर्फ जिया को प्राप्त भूमि उसके माता-पिता की सम्पत्ति है जो हिन्दू उत्तराधिकार विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 मोडूराम प्राप्त करने का हकदार नही है। 10 राजस्व अपील अप्रार्थी नं0 1 मोडूराम व प्रार्थी की माता मोहरा देवी व प्रार्थी के मृतक भाई डालू राम के वारिसान द्वारा जीती उर्फ जिया के नाम दर्ज वादगत भूमि 1.265 है जो अप्रार्थी संख्या 1 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

नाम कानूनन रूप से राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हुई है उसके प्रार्थी व प्रार्थी की माता व प्रार्थी के मृतक भाई डालूराम के वारिसान के नाम करवाने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 मोडूराम ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया और कहने लगा कि वह अपने नाम भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर जल्द ही भूमि बेचान कर देगा व इस मुश्तरका खाता की भूमि मे किसी अजनबी को भूमि बेचान कर कब्जा करवा देगा। अप्रार्थी कानूनन गलत दर्ज हुई व मुर्शतका खाता की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर कब्जा करवाने मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी व प्रार्थी की माता व प्रार्थी के मृतक भाई डालूराम के वारिसान जो कानूनन इस हिस्सा के हकदार है को इस हिस्सा से वचित होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नही हो सकेगी। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनन गलत दर्ज हुई भूमि का बेचान करने से रोक दिया जाता है तो उसे कोई क्षति नही है इसलिये सुविधा का सन्तुलन सायल के हक में है। वादगत भूमि राज्य सरकार के हक मे निहित होने के कारण तहसीलदार श्रीकरणपुर को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है व विवादित भूमि का उप पंजीयक क्षेत्र केसरीसिहपुर होने के कारण उप पंजीयक केसरीसिहपुर को पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा फैसला इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 मोडू राम चक 35 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 37/30 के मु0 नं0 46 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर नहरी व मु0 नं0 47 के किला नं0 6 से 12 प्रत्येक 0.253 हैक्टर व किला नं0 13 का 0.252 हैक्टर, किला नं0 14 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 5.059 हैक्टर अर्थात कुल रकबा 6.324 हैक्टर नहरी भूमि मे जीती उर्फ जिया का 1.265 हैक्टर हिस्सा जो अप्रार्थी संख्या 1 मोडू राम के नाम दर्ज है को किसी प्रकार से रहन एवं बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री.के.के परूथी अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाव प्रार्थना पत्र के अनुसार वादगत भूमि जीवो के आधार पर आवंटन हुई थी जिसमे ईसर राम पुत्र मंगला राम, पारी माता ईसर राम, लक्ष्मी बहिन ईसर राम, जीती उर्फ जिया बहिन ईसर राम को आवंटित हुई थी जो दिनांक 13.11.1960 को जीवो के नाम दर्ज है लेकिन ईसर पुत्र मंगला राम मूल आवंटी के मृत्यु के बाद पारी, जीती, मोहरा बाई, राजू राम, डालू राम मृतक के जायज वारिस घोषित किये गये। दिनांक 17.01.1984 के आदेश से 25 बीघा भूमि दिनांक 30.07.1984 को हस्तान्तरित की गई। जीती उर्फ जिया का 1.265 हैक्टर हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 मोडू राम के नाम सही दर्ज है क्योकि जीती उर्फ जिया को यह भूमि जीवो के आधार पर अलाट है इस कारण वह इस भूमि मे 1/5 हिस्सा की हकदार है। जमाबंदी मे मोडू राम के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 541 सही दर्ज है। अतिरिक्त कथन मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

जवाब स्टेट पेश नही होने पर बंद किया गया।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज हेतू निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्राथी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि वादगत भूमि मे चक 35 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 37/30 मे जीती उर्फ जिया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टर भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 मोडूराम के नाम विरासतन दर्ज हुई है, के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू निवेदन किया है। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया है कि यह भूमि जीवो के आधार पर आवंटन हुई थी इसलिये जीती उर्फ जिया का हिस्सा सही दर्ज है। इस संबंध मे अप्रार्थी के द्वारा वेसिक रजिस्टर की प्रति, जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा जारी सनद संख्या 2078 दिनांक 30.07.1984 की प्रति एवं पत्र क्रमांक 2905 दिनांक 30.07.1984 की प्रति पेश की है जिसमे जीती उर्फ जिया का नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

जीती उर्फ जिया को प्राप्त भूमि मे से प्रार्थी को कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है। पत्रावली मे पेश बेसिक रजिस्टर एवं सनद के अनुसार आवंटित भूमि जीवो के आधार पर आवंटन हुई है जिसमे जीती उर्फ जिया का नाम अंकित है। जीती उर्फ जिया की मृत्यु के बाद यह भूमि अप्रार्थी मोडूराम के नाम विरास्तन दर्ज हुई है। किसी रिकार्डड एवं सहखातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश दिया जाना विधिसमत नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है एवं प्रकरण मे दिनांक 30.05.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक...16/4/2019..को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मेसुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राज.}
श्रीकरणपुर {श्रीगंगानगर}

Scanned by CamScanner